

15 7
19

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में
बार-बार आवेजे लगवार्ड गार्ड पत्र
जायी व उनके अधिवक्ता कोर्ट अपास्के
नही हुए। सिहाज प्रकरण अदम पेंची।
केदम हाजमी में कार्रवाई स्थिर जात है।
पत्रावली केवल सुनाए हो पर नभक्त
से रुक ही। निर्णय सुले न्यायालय
में सुनाए गया।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द

